



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102021-230534
CG-DL-E-19102021-230534

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3961]
No. 3961]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4310(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के गदग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 367 के कि.मी. 39.95 से कि.मी.52.00 (भानपुर-गड्डनकेरी खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग मिनिधन सौधा धारवाड़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई

के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के गदग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 367 के कि.मी. 39.95 से कि.मी.52.00 (भानपुर-गडुनकेरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: गदग			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: गजेन्द्रगढ़					
गांव का नाम: उनचागेरी					
1	102	निजी	सूखी	5,139.0800000(वर्ग मीटर)	0.5139080
2	137/1	निजी	सूखी	164.0500000(वर्ग मीटर)	0.0164050
3	137/4	निजी	सूखी	654.6900000(वर्ग मीटर)	0.0654690
4	138	निजी	सूखी	503.8200000(वर्ग मीटर)	0.0503820
5	139/1	निजी	सूखी	410.2200000(वर्ग मीटर)	0.0410220
6	159	निजी	सूखी	3,151.5200000(वर्ग मीटर)	0.3151520
7	2/13	निजी	सूखी	26.0000000(वर्ग मीटर)	0.0026000
8	2/14	निजी	सूखी	237.1500000(वर्ग मीटर)	0.0237150
9	2/5	निजी	सूखी	101.1700000(वर्ग मीटर)	0.0101170
10	2/8	निजी	सूखी	76.0000000(वर्ग मीटर)	0.0076000
11	2/9	निजी	सूखी	118.2800000(वर्ग मीटर)	0.0118280
12	20	निजी	सूखी	738.9700000(वर्ग मीटर)	0.0738970
13	22	निजी	सूखी	4,459.7500000(वर्ग मीटर)	0.4459750
14	34	निजी	सूखी	1,335.1200000(वर्ग मीटर)	0.1335120
15	36	निजी	सूखी	410.9700000(वर्ग मीटर)	0.0410970
16	94	निजी	सूखी	230.6900000(वर्ग मीटर)	0.0230690

17	96	निजी	सूखी	3,004.5400000(वर्ग मीटर)	0.3004540
18	97	निजी	सूखी	1,152.1700000(वर्ग मीटर)	0.1152170
कुल				21,914.1900	2.1914

[फा. सं. NH-12014/29/2014-KNT-(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4310(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highways 367 in the stretch of land from Km 39.95 to Km 52.00 (Bhanapur-Gaddankeri section) in the district of GADAG in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, special land acquisition office national highway minividhan soudha Dharwad in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 39.95 to Km 52.00 (Bhanapur-Gaddankeri section) of the National Highways 367 in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA District: GADAG					
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Gajendragad					
Village: Unachageri					
1	102	Private	Dry	5,139.0800000(Square Meter)	0.5139080
2	137/1	Private	Dry	164.0500000(Square Meter)	0.0164050
3	137/4	Private	Dry	654.6900000(Square Meter)	0.0654690
4	138	Private	Dry	503.8200000(Square Meter)	0.0503820
5	139/1	Private	Dry	410.2200000(Square Meter)	0.0410220
6	159	Private	Dry	3,151.5200000(Square Meter)	0.3151520
7	2/13	Private	Dry	26.0000000(Square Meter)	0.0026000
8	2/14	Private	Dry	237.1500000(Square Meter)	0.0237150
9	2/5	Private	Dry	101.1700000(Square Meter)	0.0101170

10	2/8	Private	Dry	76.0000000(Square Meter)	0.0076000
11	2/9	Private	Dry	118.2800000(Square Meter)	0.0118280
12	20	Private	Dry	738.9700000(Square Meter)	0.0738970
13	22	Private	Dry	4,459.7500000(Square Meter)	0.4459750
14	34	Private	Dry	1,335.1200000(Square Meter)	0.1335120
15	36	Private	Dry	410.9700000(Square Meter)	0.0410970
16	94	Private	Dry	230.6900000(Square Meter)	0.0230690
17	96	Private	Dry	3,004.5400000(Square Meter)	0.3004540
18	97	Private	Dry	1,152.1700000(Square Meter)	0.1152170
Total				21,914.1900	2.1914

[F. No. NH-12014/29/2014-KNT-(P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Director